खाद नहीं मिलने से किसान हो रहे परेशान

- 18 हजार टन अधिक उर्वरक फिर भी किसान परेशान
- वितरण केन्द्रों पर किसान लगा रहे हैं चक्कर

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 31 जुलाई. खरीफ फसल को लेकर किसान चिंतित हैं, एक तो बारिश ही कमजोर है, वहीं खाद को लेकर मारामारी चल रही है.

वर्तमान में सोयाबीन, धान, तिली सहित अन्य खरीफ फसल को उर्वरक की दरकार है. लेकिन सहकारी समितियों और वितरण केन्द्रों पर रासायनिक खाद की उपलब्धता नहीं है. किसान लगातार सुबह से वितरण केन्द्रों पर पहुंच जाते है, तो पूरा दिन वहीं गुजर जाता है. वहीं सरकार का दावा है कि कहीं पर भी उर्वरक की कमी नहीं हैं. प्रतिवर्ष यूरिया सहित अन्य उर्वरकों की मांग बढ़ती जा रही है. ऐसा नहीं है कि यह स्थिति वर्तमान में है बल्कि हर साल खाद की आपूर्ति को लेकर किसानों को जूझना पड़ता है. या फिर ब्लैक में मूल्य से अधिक दाम देखर खरीदना पड़ता है.

2025 और 2026 में खाद का वितरण

2025	2026	अंतर
कुल उपलब्धता		
12.69 लाख टन	14.55 लाख टन	+1.86 लाख टन
कुल वितरण		
10.77 लाख टन	10.95 लाख टन	+18 हजार टन
शेष स्टॉक		
1.92 लाख टन	3.60 लाख टन	+1.68 लाख टन

ई-टोकन व्यवस्था की स्थगित

मार्कफेड के 29 जुलाई 2026 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 28 जुलाई तक 10.95 लाख टन उर्वरक का वितरण हो चुका है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18 हजार टन अधिक है. इसके बावजूद यूरिया की मांग लगातार बढ़ने से कई जिलों में किसानों को सहकारी समितियों और वितरण केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इसका एक मुख्य कारण है ई-टोकन व्यवस्था जिसे हाल फिलहाल सरकार ने स्थगित कर दिया है.

फैक्ट फाइल

उपलब्धता में वृद्धि: 1.86 लाख टन
वितरण में वृद्धि: 18 हजार टन
मौजूदा स्टॉक: 3.60 लाख टन
सबसे अधिक वितरण: यूरिया (6.22 लाख टन)
अनुमानित खरीफ आवश्यकता: 8.92 लाख टन

उर्वरकवार स्थिति

उर्वरक	वितरण	शेष स्टॉक
यूरिया	6.22	1.82
एनपीके	2.61	1.24
डीएपी + टीएसपी	1.63	0.35
एसएसपी	0.38	0.11
पोटाश	0.12	0.0

यूरिया पर निर्भर किसान

आंकड़े बताते हैं कि इस वर्ष कुल वितरित उर्वरक में 6.22 लाख टन यूरिया शामिल है, जो कुल वितरण का करीब 57 प्रतिशत है। इसके मुकाबले एनपीके का वितरण 2.61 लाख टन, डीएपी-टीएसपी 1.63 लाख टन, एसएसपी 0.38 लाख टन और पोटाश केवल 0.12 लाख टन रहा. इससे स्पष्ट है कि किसान अब भी सबसे अधिक निर्भर यूरिया पर हैं, जबकि कृषि विशेषज्ञ संतुलित उर्वरक उपयोग की सलाह देते रहे हैं.

बावड़ियाकला में तीन मंजिला भवन पर चलाया बुलडोजर

निगम की भवन अनुज्ञा के विपरीत किया था निर्माण

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 31 जुलाई. राजधानी में नगर निगम अवैध पक्केनिर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करता आ रहा है. इसी क्रम में शुक्रवार को बावड़िया कलां में एक दो मंजिला भवन पर बुलडोजर चलाया गया. यह कार्रवाई भवन अनुज्ञा शाखा और अतिक्रमण निरोधक दल ने संयुक्त रुप से की.

बताया जाता है कि बावड़िया कला नगर निगम के जोन 14 वार्ड 52 में आता है. यहां पर शुभालय विहार गौरव ग्रह निर्माण सोसायटी में इस का निर्माण किया गया था. जिसका भूखंड क्रमांक 93-बी है. जिसे निगम क भवन अनुज्ञा शाखा द्वारा दी गईं अनुमति के विपरीत निर्माण किया गयाथा. जिसकी शिकायत भवन अनुज्ञा शाखा को प्राप्त हुई. उसी का निराकरण करते हुए इस दो मंजिला भवन तो तोड़ने की कार्रवाई की.

रोशन पुरा पर तोड़े दस मकान

शहर में अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाते हुए रोशन पुरा पर मुख्य मार्ग पर स्थित पक्के 10 मकानों पर बुलडोजर चलाकर तोड़ने की कार्रवाई की. यह सभी मकान मेट्रो रेल लाईन बिछाने में बाधा बन रहे थे. जिन्हें पहले ही मुआवजा दिया जा चुका है. उसके बाद भी इन्होंने इसे खाली नहीं किया था. इन्ह मकानों को तोड़ने के बाद मेट्रो लाइन में बाधा बन रहे सभी मकान दुकानों को तोड़ दिया गया है. जिससे अब मेट्रो के कार्य में गति देखने को मिलेगी.

बोर्ड ने15 हजार विद्यार्थियों की अंकसूची की गड़बड़ियां सुधारीं

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 31 जुलाई. माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की एक बड़ी प्रशासनिक लापरवाही के कारण प्रदेश के हजारों छात्रों के भविष्य पर मंडरा रहा संकट अब टल गया है।

बता दें कक्षा 10वीं और 12वीं के करीब 15 हजार नियमित विद्यार्थियों की अंकसूची में गलत तरीके से स्वाध्यायी (प्राइवेट) दर्ज कर दिया गया था। जिसको लेकर मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अनिकेत द्विवेदी द्वारा प्रशासन से लगातार सुधार गुहार लगाई जा रही थी. जिसके बाद मंडल ने सभी प्रभावित छात्रों की अंकसूचियों में संशोधन कर उन्हें पुन: नियमित श्रेणी में दर्ज कर दिया है। बता दें त्रुटि ठीक न होने के कारण हजारों विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं और भविष्य के रोजगार परभी असर पड़ सकता था. अंकसूचियों में सुधार के बाद अनिकेत द्विवेदी ने कहा कि यह सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी का समाधान नहीं, बल्कि हजारों छात्रों के अधिकारों की जीत है। उन्होंने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में बार-बार हो रही प्रशासनिक लापरवाही पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकार को इस प्रकार की घटनाओं से सीख लेकर व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता तय करनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि युवा कांग्रेस केवल विरोध के लिए राजनीति नहीं करती, बल्कि आम जनता और छात्रों से जुड़े वास्तविक मुद्दों को उनके तार्किक समाधान तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

भैरो बाबा मंदिर, स्कूल परिसर में रोपे 51 पौधे

बैरसिया. सेवानिवृत्त शिक्षक मुनीष त्यागी ने शुक्रवार को क्षेत्र के जमुसर कला गांव में प्राचीन भैरो बाबा के मंदिर में दर्शन कर अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में 51 पौधों का रोपण किया. पौध रोपण स्कूल और मंदिर प्रांगण में किया गया. इसके बाद उनके निवास शांतिकुंज कॉलोनी में बड़ी संख्या में एकत्रित विद्यार्थियों, साथी शिक्षकों सहित गणमान्य नागरिकों ने मिठाइयां खिलाकर उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दी. इस अवसर पर कर्मचारी नेता कैलाश नारायण सक्सेना, एडवोकेट अनार सिंह चौहान, मदन सिंह ठाकुर, नरेश ठाकुर, जितेंद्र शर्मा, प्रताप सिंह दांगी, धीरज मालवीय, गजराज सिंह सेन आदि मौजूद रहे.

13 वर्ष से कम आयु वाले भी दे सकेंगे 9 वीं की परीक्षा

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 31 जुलाई. माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने प्रदेश के कक्षा नौवीं के छात्रों को बड़ी राहत दी है। शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के लिए नौवीं में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए निर्धारित 13 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा में छूट दे दी है।

बता दें शुक्रवार को ही मंडल सचिव बुद्धेश कुमार वैद्य द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। जिसमें मंडल के नए आदेश के अनुसार परीक्षा सत्र 2026-2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने और परीक्षा मार्गदर्शिका के नियमों के तहत जो 13 वर्ष की आयु का नियम तय किया गया था. उसमें अब बदलाव किया गया है। जिससे उन हजारों विद्यार्थियों को राहत मिलेगी, जिनकी उम्र 13 वर्ष से कुछ कम होने के कारण उनके नामांकन या परीक्षा फॉर्म पर रोक लग सकती थी।

मंडल के इस फैसले की प्रतिलिपि प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, कलेक्टर्स और स्कूलों के प्राचार्यों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।

25 इलाकों में कटौती आज

भोपाल. शहर के करीब 25 इलाकों में शनिवार को बिजली कटौती होगी. जिन इलाकों में बिजली बंद रहेगी, उनमें गेहूंखेड़ा, वंदना नगर, पलासी, जानकी अपॉर्टमेंट सहित अन्य इलाके शामिल हैं.

पश्चिम मध्य रेल

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

क्रं:-इटी/टीआरएस/डब्ल्यूसी/09/26-27 दिनांक:- 28-07-2026

वरिष्ठ मंडल विद्युत इंजीनियर (टी.आर.एस), विद्युत लोको शेड, पश्चिम मध्य रेल, न्यू यार्ड, इटारसी, भारत के राष्ट्रपति एवं उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य के लिए दिनांक 25.08.2026 को 15.00 बजे तक ई-टेन्डर निम्नानुसार आमंत्रित करते हैं:- **ई-निविदा क्रमांक:** इटी/टीआरएस/डब्ल्यूसी/09/26-27, **कार्य का नाम लोकेशन सहित:** कम्प्रहेन्सिव एनुअल मैटीनेंस कॉंट्रेक्ट (सीएएमसी) फॉर स्पेक्ट्रोग्राफी मशीन एट ईएलएस ईटारसी फॉर ए पीरियड ऑफ 03 ईयर्स। **निविदा की अनुमानित लागत ₹:** 24,60,300/-, **बयाना राशि ₹:** 49,300/- **कार्य पूर्ण करने की अवधि:** 03 (तीन) साल, **ई-निविदा जमा करने की तिथि एवं समय:** 25/08/2026 समय 15:00 बजे तक, नोट:- ई-निविदा प्रपत्र एवं ई- निविदा से संबंधित पूर्ण जानकारी बेवसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। (हस्ता.)

कृते वरि. मण्डल विद्युत इंजीनियर
विद्युत लोको शेड, पश्चिम मध्य रेल, इटारसी

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

पद्मश्री कैलाशचंद्र पंत का अंतिम संस्कार आज

निज संवाददाता

भोपाल,31 जुलाई. हिंदी के वरिष्ठ सेवक और मध्य प्रदेश राष्ट्र भाषा प्रचार समिति से जुड़े रहे पद्मश्री कैलाशचंद्र पंत का शुक्रवार 31 जुलाई को निधन हो गया. वे कुछ समय से बीमार चल रहे थे. उनके निधन की खबर मिलते ही साहित्य और पत्रकारिता जगत में शोक फैल गई.

परिवार के अनुसार उनकी अंतिम यात्रा शनिवार सुबह 10 बजे चूना भट्टी स्थित निवास से निकलेगी और हिंदी भवन पहुंचेगी, जहां अंतिम दर्शन होंगे. इसके बाद सुबह 11 बजे भदभदा विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा. कैलाशचंद्र पंत ने अपने जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से की थी, लेकिन बाद में उन्होंने खुद को पूरी तरह हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार में समर्पित कर दिया. संस्था से जुड़े लोगों के मुताबिक उन्होंने लंबे समय तक मंत्री संचालक के रूप में काम करते हुए हिंदी भवन को नई पहचान दिलाई.उनका जन्म 1936 में हुआ था और शुरुआती पढ़ाई महू और इंदौर में हुई. उनके काम को देखते हुए भारत सरकार ने इसी वर्ष उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था. मध्य प्रदेश सरकार ने भी उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में सम्मान दिया था.करीब दो साल पहले उनकी पत्नी किरण पंत का निधन हो चुका है. परिवार में उनकी तीन बेटियां और नाती-पोते हैं. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनका योगदान लंबे समय तक याद रखा जाएगा.

वरिष्ठ पत्रकार एवं गांधी भवन के सदस्य राकेश दीवान ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पंत जी ने पूरे समर्पण के साथ हिंदी सेवा को आगे बढ़ाया है.उन्होंने कई लोगों को इससे जोड़ा और निरंतर सक्रिय रहे.उनका जाना एक ऐसी कमी है, जिसे लंबे समय तक महसूस किया जाएगा. अन्य साहित्यकारों और पत्रकारों ने भी शोक व्यक्क्त किया है.

शायर वफ़ा सिद्दीक़ी का निधन

निज संवाददाता

भोपाल,31 जुलाई. जाने-माने शायर वफ़ा सिद्दीक़ी का शुक्रवार 31 जुलाई को निधन हो गया. उनके निधन की खबर मिलते ही शहर के साहित्यिक और उर्दू से जुड़े सदस्यों में शोक छा गया. इसी दिन दोपहर मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी में शोक सभा आयोजित की गई, जिसमें अकादमी से जुड़े लोग और साहित्यकार शामिल हुए.

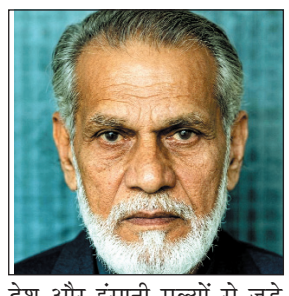

सभा में दिवंगत शायर की साहित्यिक सेवाओं को याद किया गया. अकादमी की निदेशक डॉ. नुसरत मेहदी ने कहा कि वफ़ा सिद्दीक़ी लंबे समय तक भोपाल की अदबी दुनिया में सक्रिय रहे और अपनी सादगी व साफ सोच के लिए पहचाने जाते थे. उन्होंने अपने कलाम के जरिए समाज, देश और इंसानी मूल्यों से जुड़े विषयों को सामने रखा. वफ़ा सिद्दीक़ी के चार प्रमुख काव्य संग्रह प्रकाशित हुए थे, जिन्हें देश और विदेश में सराहना मिली. साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के कई सम्मान भी दिए गए. वे उर्दू अकादमी की जनरल बॉडी के सदस्य भी रह चुके थे. शोक सभा के अंत में मौजूद लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी.

AURANGABAD SMART CITY DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (ASCDCL)

REQUEST FOR PROPOSAL

ASCDCL invites firms possessing relevant capabilities to respond to this RFP for following

Sr. No.	Title and Tender ID No	Bid Due Date	Bid Opening Date
01	CONCEPTUALISING, BRANDING, DESIGNING ARTWORKS, GRAPHICS AND ILLUSTRATIVE SIGNAGES FOR THE ZOOLOGICAL PARK, CHHATRAPATI SAMBHAIJANAGAR 2026_ASCDC_1323976_1	07 AUG 2026 5.00 p.m.	08 AUG 2026 5.00 p.m.

The tender document can be download from https://www.mahatenders.gov.in

Sd/-
Chief Executive Officer
Aurangabad Smart City Development Corporation Limited

बारिश से रुके मुकाबले

70वीं जिला स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता

खेल प्रतिनिधि

भोपाल, 31 जुलाई. बारिश के कारण 70वीं जिला स्तरीय शालेय लॉन टेनिस एवं सॉफ्ट टेनिस प्रतियोगिता के सभी मुकाबले शुक्रवार को पूरे नहीं हो सके.

कई मैच बीच में रोकने पड़े, जबकि शेष मुकाबले अब शनिवार को खेले जाएंगे. प्रतियोगिता में दोनों खेलों को मिलाकर 24 विद्यालयों के 115 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया. आयोजकों के अनुसार लॉन टेनिस में 15 स्कूलों के करीब 75 खिलाड़ियों और सॉफ्ट टेनिस में 9 स्कूलों के लगभग 40 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. दिनभर रुक-रुक कर हुई बारिश के कारण कोर्ट पर खेल जारी रखना संभव नहीं हो सका.

फर्जी दस्तावेजों से भूमि विक्रय पर दिया नोटिस

आरोपियों से पीड़िता को मिल रही हैं धमकी, पुलिस से लगाई गुहार

नवभारत संवाददाता

भोपाल, 31 जुलाई. राजधानी के बैरागढ़ में फर्जी दस्तावेज से भूमि बेचने का मामला सामने आया है. इस मामले को लेकर पीड़ित दंपत्ती ने कानूनी नोटिस भेजा है. उसके बाद शिकायतकर्ता को शिकायत वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है.

साथ ही वापस नहीं लेने पर पीड़िता नैना केसवानी को धमकी दी जा रही है. जिसकी शिकायत बैरागढ़ थाने में भी की गई है. बैरागढ़ निवासी नैना केसवानी ने थाना बैरागढ़ में शिकायत देकर आरोप लगाया है कि उनके पति हीरो केसवानी द्वारा विधिक नोटिस भेजे जाने के बाद संबंधित पक्ष उन पर मामला वापस लेने का दबाव बना रहा है. विरोध करने पर झूठे अड़ीबाज़ी के मामले में फंसाने और जान से मरवा देने की धमकी दी जा रही है. महिला ने पुलिस से सुरक्षा और निष्पक्ष जांच की मांग की है. शिकायत के अनुसार हीरो केसवानी ने अधिवक्ता के माध्यम से हीरो ज्ञानचंदानी, होतचंद धनवानी और महेश दयारामानी को विधिक नोटिस भेजा था. नोटिस में आरोप लगाया गया है कि भूमि विक्रय के दौरान कथित रूप से फर्जी अनुमति के आधार पर रजिस्ट्री कराई गई तथा भूमि के डायवर्जन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई. इन्हीं तथ्यों को लेकर कानूनी नोटिस जारी किया गया था. महिला का आरोप है कि नोटिस भेजे जाने के बाद से उनके पति पर लगातार समझौते और मामला वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है. शिकायत में कहा गया है कि ऐसा नहीं करने पर उनके पति को झूठे अड़ीबाज़ी के मामले में फंसाने और जान से मरवा देने की धमकी दी गई. इसके साथ ही नैना केसवानी ने आरोप लगाया है कि ईओडब्ल्यू में दर्ज प्रकरण क्रमांक 77/2026 में उन पर कथित रूप से झूठी गवाही देने का दबाव भी बनाया जा रहा है.

महिला ने मांग की है कि यदि भविष्य में कोई झूठा प्रकरण दर्ज कराया जाता है तो इस आवेदन को पूर्व में मिली धमकियों के साक्ष्य के रूप में माना जाए.

आंचलिक कार्यालय: भोपाल अंचल
फोन : 0755-2556770, 2555169

बैंक ऑफ़ इंडिया

वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत नोटिस

जैसा कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 2002 के रूल 3 (1) के अंतर्गत बैंक द्वारा आप पर बकाया धन जमा करने हेतु निम्नवर्णित दिनांक को मांग नोटिस को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया गया था। उक्त नोटिस के द्वारा आप को बैंक द्वारा बकाया निम्न वर्णित राशि एवं उस पर देय ब्याज आपके द्वारा नोटिस प्राप्ति के 60 दिन के अंदर जमा किया जाना है, जो कि हमारे बैंक में वापस आ गयी है। जिससे यह विश्वास करने का कारण उत्पन्न हो जाता है कि आप उस डिमांड नोटिस को प्राप्त करने से बच रहे है। अतः अब इस नोटिस के प्रकाशन के द्वारा आपको एतद् द्वारा बैंक बकाया धनराशि को चुकाने हेतु नोटिस दिया जाता है, कि बैंक को देय निम्नवर्णित ऋण राशि इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर हमारी बैंक में जमा कर दें। इस खाते से सम्बन्धित विवरण नीचे उल्लिखित है उक्त ऋण राशि का भुगतान न करने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूतिहित परवर्तन नियम 2002 के अंतर्गत किसी अथवा सभी अधिकारों का प्रयोग किया जा सकता है। नोटिस का विवरण निम्नानुसार है। उधारकर्ताओं को एक्ट की धारा 13 एवं उपधारा 8 के प्रावधान के अन्तर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के एवज में उपलब्ध समय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

ऋणी एवं जमानतदारों के नाम एवं पता	मांग सूचना राशि	बंधक रखी संपत्ति के विवरण एवं संपत्ति के बंधककर्ता का नाम
भोपाल मुख्य शाखा, मारवाड़ी रोड, भोपाल फोन : 0755-4931126		
आवेदक - **श्री योगेश सोनी पुत्र राजेन्द्र सोनी** सह आवेदक-**श्रीमती प्रीति सोनी पत्नी योगेश सोनी** मकान नंबर 129, इब्राहिमगंज संजय लांड्री के पास भोपाल म.प्र.-462003 जमानतदार/बंधककर्ता: **श्री सुलभ वर्मा पुत्र अजय वर्मा** मकान नं. 2, वार्ड नंबर 07, विवेक जागृति रोड भोपाल म.प्र.-462003	₹ 13,85,422.08 + दिनांक 30.04.2026 से ब्याज @8.20% एवं अन्य खर्चे मांग सूचना दिनांक 05-06-2026 एनपीए दिनांक: 29.05.2026	बंधक संपत्ति फ्लैट नंबर सी-07, तीसरी मंजिल, आइवरी 7 कौशल अपार्टमेंट, तलैया दुर्गा चौक, आलोक प्रेस रोड भोपाल मध्य प्रदेश 46200 **संपत्ति मालिक-** श्री योगेश सोनी पुत्र राजेंद्र सोनी और श्रीमती प्रीति सोनी पत्नि योगेश सोनी

स्थान : भोपाल, दिनांक : 01-08-2026 प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ इंडिया

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय)
चौथा तल, सेवा भवन, आर. के. पुरम, नई दिल्ली – 110066
वेबसाइट: www.beeindia.gov.in दूरभाष: 011-26766700

ESCO का पैनल/पुनः पैनल बनाया जाना।

विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) के साथ एनर्जी सर्विस कंपनी (ESCO) के रूप में पैनल / पुनः पैनल बनाने के लिए पात्र संगठनों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) 'ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001' के अंतर्गत देश में ऊर्जा दक्षता पहलों को बढ़ावा दे रहा है जिसमें ESCO मॉडल के माध्यम से मौजूदा सुविधाओं में ऊर्जा संरक्षण उपायों को बढ़ावा देना भी शामिल है। ESCO एक ऐसा संगठन है जो किसी क्लाइंट फर्म के साथ परफॉर्मेंस बेस्ड (कार्य निष्पादन के आधार पर) अनुबंध करता है ताकि ऐसे उपाय लागू किए जा सकें जिनसे तकनीकी रूप से व्यावहारिक तरीके से ऊर्जा की खपत और लागत कम हो। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) दो वर्ष की वैधता अवधि के लिए पैनल में शामिल एनर्जी सर्विस कंपनियों की एक सूची तैयार कर उसे मेंटेन करना चाहता है।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ ESCO के रूप में पैनल बनाने / पुनः बनाने के लिए सभी ESCO, ग्रेडिंग एजेंसियों जैसे CRISIL लिमिटेड; SMERA रेटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड; CARE एनालिटिक्स एंड एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड और फिच सॉल्यूशंस इंडिया एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड को पूरे भरे हुए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

SEBI से मान्यता प्राप्त एजेंसियों के संपर्क विवरण की जानकारी और पैनल में शामिल होने की प्रक्रिया **www.beeindia.gov.in** से डाउनलोड की जा सकती है। इस संबंध में किसी भी प्रश्न या क्लेरिफिकेशन के लिए कृपया **bibhu.mohanty@beeindia.gov.in** का अवलोकन करें।

ग्रेडिंग प्रक्रिया के लिए आवेदन-पत्र संबंधित ग्रेडिंग एजेंसियों से प्राप्त किए जा सकते हैं। ऊपर बताई गई ग्रेडिंग एजेंसियों को पूरे भरे हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख इस विज्ञापन की तारीख से 30 दिन के भीतर है। अधूरे आवेदन और तय तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

सचिव, बीईई

CBC 34106/11/0008/2627

रोजगार की दरकार | **प्राइवेट कॉलेज से डिप्लोमा का हवाला देकर रोकी जॉइनिंग**

मेरिट में आकर भी नौकरी को तरस रहे ओटी टेक्निशियन

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 31 जुलाई. मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित समूह-5 भर्ती परीक्षा पास कर चुके ओटी टेक्निशियनों का भविष्य प्रशासनिक उलझनों में उलझकर रह गया है.

परीक्षा पास करने, मेरिट में जगह बनाने, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल जांच जैसी तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा रहे हैं. अपनी इसी मांग को लेकर चयनित अभ्यर्थी बीते 5 दिनों से जेपी अस्पताल परिसर स्थित लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा संचालनालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें मामला कई अभ्यर्थियों के प्राइवेट मान्यता प्राप्त संस्थानों से डिप्लोमा या डिग्री करने के कारण अटका हुआ है. विभाग की संवीक्षा समिति और पत्राचार में केवल इस बात पर मार्गदर्शन मांगा जा रहा है कि अभ्यर्थी ने प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई की है, इसलिए उसे जॉइनिंग दी जाए या नहीं.

नियमों की अनदेखी का आरोप: पीड़ित अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती परीक्षा की आधिकारिक रूलबुक या किसी भी शासकीय राजपत्र में ऐसी कोई शर्त नहीं थी, कि केवल सरकारी कॉलेज के छात्र ही पात्र होंगे. मध्य प्रदेश सह-चिकित्सकीय (पैरामेडिकल) काउंसिल एक स्वायत्त शासकीय बोर्ड है, जो कॉलेजों को मान्यता देता है और छात्रों का जीवित पंजीयन करता है. जब काउंसिल खुद इन संस्थाओं को मान्यता देती है, तो फिर अभ्यर्थियों को प्राइवेट कॉलेज के नाम पर अयोग्य ठहराना नियमों के पूरी तरह खिलाफ है.

कोर्ट जाने की चेतावनी

अभ्यर्थियों ने स्वास्थ्य विभाग को विधिक अभ्यावेदन सौंपकर मांग की है कि काउंसिल से पंजीकृत सभी चयनित अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं. यदि विभाग किसी नियम के तहत उन्हें अपात्र मानता है, तो इसका स्पष्ट लिखित कारण दिया जाए. अभ्यर्थियों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए तो वे न्याय के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे.